प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 30 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत चौबे पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-03-2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत चौबे पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे, जो ग्राम-चैनछपरा, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक 03.07.2004 को दयाशंकर सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य पी०डब्लू०डी० कार्यालय बलिया पर टेंडर प्रपत्र खरीदने पहुँचे वहां पहले से मौजूद कौशल चौबे, कमलाकान्त चौबे, अजीत चौबे व अन्य वादी पक्ष को देखते ही ताबड़तोड फायरिंग कर सत्यप्रकाश, अखिलेश, व अरविन्द नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०- 14/2008, भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 148 व 07 सी0एल0ए0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-28.12.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 03.07.2004 को दयाशंकर सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य पी०डब्लू०डी० कार्यालय बलिया पर टेंडर प्रपत्र खरीदने पहुँचे वहां पहले से मौजूद कौशल चौबे, कमलाकान्त चौबे, अजीत चौबे व अन्य वादी पक्ष को देखते ही ताबड़तोड फायरिंग कर सत्यप्रकाश, अखिलेश, व अरविन्द नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत चौबे पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत चौबे (बन्दी संख्या-330/2021) पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे, निवासी जनपद-बलिया को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-689/2025/1607(1)/22-2-2023 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बलरामपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-689/2025/1607/22-2-2023-17(1447)/2023

दिनांक: 30 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत चौबे पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे, जो ग्राम-चैनछपरा, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक 03.07.2004 को दयाशंकर सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य पी०डब्लू०डी० कार्यालय बलिया पर टेंडर प्रपत्र खरीदने पहुँचे वहां पहले से मौजूद कौशल चौबे, कमलाकान्त चौबे, अजीत चौबे व अन्य वादी पक्ष को देखते ही ताबड़तोड फायरिंग कर सत्यप्रकाश, अखिलेश, व अरविन्द नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०- 14/2008, भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 148 व 07 सी0एल0ए0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-28.12.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 03.07.2004 को दयाशंकर सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य पी०डब्लू०डी० कार्यालय बलिया पर टेंडर प्रपत्र खरीदने पहुँचे वहां पहले से मौजूद कौशल चौबे, कमलाकान्त चौबे, अजीत चौबे व अन्य वादी पक्ष को देखते ही ताबड़तोड फायरिंग कर सत्यप्रकाश, अखिलेश, व अरविन्द नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत चौबे पुत्र श्री कमलाकान्त चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।